

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : ई-26/राजप/2019/203

दिनांक : 9.9.19

—: आदेश :-

श्री अशोक शर्मा (जन्मतिथि 15.08.59) प्रशासनिक अधिकारी (राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मन्त्रालयिक सेवा संवर्ग) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को दिनांक 31.08.2019 से राज्य सेवा में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

श्री अशोक शर्मा प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम -16 में विभागीय जाँच विचाराधीन है।




निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई-26/राजप/2019/203

दिनांक : 9.9.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) मुख्यालय।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
4. श्री अशोक शर्मा प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबवाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. आदेश /निजी पत्रावली।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर